



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1013]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 20, 2017/अग्रहायण 29, 1939

No. 1013]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 20, 2017/AGRAHAYANA 29, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 दिसम्बर, 2017

सा.का.नि. 1527(अ).—केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 282 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (पच्चीसवाँ संशोधन) नियम, 2017 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. आय-कर नियम, 1962 के नियम 127 के उपनियम (2) में परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया रखा जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यह और कि जहां संसूचना का परिदान या पारेषण मद (i) से मद (iv) में वर्णित पते पर या पहले परंतुक में यथानिर्दिष्ट संबोधिती द्वारा दिए गए किसी अन्य पते पर नहीं किया जा सकता है, वहां संसूचना का परिदान या पारेषण निम्नलिखित पते पर किया जाएगा :—

- (i) निर्धारिती का पता, जो किसी ऐसी बैंककारी कंपनी या सहकारी बैंक के पास उपलब्ध है, जिसको बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) लागू होता है (इसके अंतर्गत उक्त अधिनियम की धारा 51 में निर्दिष्ट कोई बैंक या बैंककारी संस्था भी है) ; या
- (ii) निर्धारिती का पता, जो भारतीय डाक घर अधिनियम, 1898 (1898 का 6) की धारा 2 के खंड (ज) में यथा निर्दिष्ट पोस्टमास्टर जनरल के पास उपलब्ध है ; या
- (iii) निर्धारिती का पता, जो बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 2 के खंड (9) में यथा परिभाषित बीमाकर्ता के पास उपलब्ध है ; या

- (iv) निर्धारिती का पता, जो नियम 114घ के उपनियम (1) के अधीन निदेशक, आय-कर (आसूचना और आपराधिक अन्वेषण) को या संयुक्त निदेशक, आय-कर (आसूचना और आपराधिक अन्वेषण) को प्ररूप संख्या 61 में दिया गया है ; या
- (v) निर्धारिती का पता, जो नियम 114ङ के उपनियम (1) के अधीन निदेशक, आय-कर (आसूचना और आपराधिक अन्वेषण) को या संयुक्त निदेशक, आय-कर (आसूचना और आपराधिक अन्वेषण) को प्ररूप संख्या 61क में दिया गया है ; या
- (vi) निर्धारिती का पता, जो सरकार के अभिलेखों में उपलब्ध है ; या ;
- (vii) निर्धारिती का पता, जो अधिनियम की धारा 10 के खंड (20) के नीचे स्पष्टीकरण में यथा निर्दिष्ट स्थानीय प्राधिकारी के अभिलेखों में उपलब्ध है ।"

[अधिसूचना सं. 98/2017/फा. सं. 370142/36/2017-टीपीएल]

डॉ. टी. एस. मपवाल, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम अधिसूचना संख्यांक का.आ. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें आय-कर (तेईसवाँ संशोधन) नियम, 2017 द्वारा, अधिसूचना संख्यांक का.आ. 3497(अ), तारीख 31 अक्टूबर, 2017 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया था ।